प्राक्कथन

(1) यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

(2) इस प्रतिवेदन के अध्याय-1 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के वित्त लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं।

(3) इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं।

(4) अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन कार्य पर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजस्व एवं सामान्य खण्डों से सम्बंधित विभागों में विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।